# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 154/2024 निर्णय दिनांक: 24.04.2026
ऑनलाईन नम्बर 2024/326
श्यामसुन्दर पुत्र धर्मचन्द जाति सोनी "सुनार" निवासी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

—अप्रार्थी—

उपस्थितिः—

1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से सादर प्रस्तुत है कि खेत खसरा नम्बर 105 तादादी 7.0000 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 160 तादादी 14.5800 हैक्टेयर वाकेरोही गजपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में 1/3 हिस्सा की खातेदारी भंवरनाथ पुत्र मोहननाथ सिद्ध निवासी बेनीसर के नाम से, 1/150 हिस्सा की खातेदारी तुलछाराम पुत्र नानूराम के नाम से, 11/25 हिस्सा की खातेदारी सूरजाराम, मोहनराम, कानाराम, दूलाराम, राधा, शांति पुत्र/पुत्रियां नानूराम के नाम से, 11/150 हिस्सा की खातेदारी भंवरी पत्नी लिछमणराम, मुनीराम, चन्द्री, धापू, संतरा पुत्र पुत्रियां लिछमणराम के नाम से, 11/150 हिस्सा की खातेदारी गौरीशंकर, रामूराम, हरूराम, परमा, सुशीला, पारां पुत्र पुत्रियां रेवंती पुत्री नानूराम के नाम से तथा 11/150 की खातेदारी सहीराम पुत्र मनोहरी पुत्री नानूराम जाति जाट निवासीगण बिग्गाबास रामसरा के नाम से रही है। प्रार्थी ने उक्त खसरान भूमि के 11/150 हिस्से के खातेदार मोहनराम पुत्र नानूराम तथा 11/150 हिस्से के खातेदार सहीराम पुत्र मनोहरी पुत्री नानूराम जाति जाट निवासीगण बिग्गाबास रामसरा से उनका कुल हिस्सा 22/150 तनदुसार 11/75 हिस्सा की कृषि भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.12.2012 को खरीद कर लिया जिस पर उक्त खसरान भूमि में प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में जरिये इन्तकाल संख्या 149 दिनांक 21.01.2013 को 11/75 हिस्सा की खातेदारी सही रूप से दर्ज हो गई। फिर उपरोक्त खसरान भूमि सम्बन्ध में एक दावा घोषणात्मक, विभाजन का खातेदार भंवरनाथ सिद्ध द्वारा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश किया गया जिस पर न्यायालय श्रीमान् द्वारा उपरोक्त खसरान भूमि का निर्णय पारित किया गया, जिसके अनुसार नामान्तरण संख्या 187 दिनांकित 14.05.2014 के जरिये उपरोक्त खसरान भूमि का मौके पर काबिजानुसार विभाजन कर दिया गया जिस पर प्रार्थी को उसके हक हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 160 तादादी 14.5800 हैक्टेयर में से 11/50 हिस्सा के रूप में प्राप्त हुई है। इस प्रकार न्यायालय श्रीमान् द्वारा उक्त खसरान भूमि के सम्बन्ध में हुए आदेश से इन्तकाल संख्या 187 दिनांकित 14.05.2014 में भी प्रार्थी के नाम सही रूप से खातेदारी दर्ज हुई है व प्रार्थी का नाम पिता का नाम व जाति सही रूप से दर्ज हुई है। इन्तकाल संख्या 187 के बाद खसरा नम्बर 160 रोही गजपुरा में समय समय पर काफी नामान्तरण दर्ज किए गये है जिस पर राजस्व अमला द्वारा चौसाला जमाबन्दियां बनाई गई व सेग्रीगेशन किया गया तो खसरा नम्बर 160 रोही ग्राम गजपुरा के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की जाति बिलकुल ही गलत रूप से सोनी "सुनार" की जगह जाट

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

अंकित कर दी गई जो कि राजस्व कर्मवारियों की लापरवाही व लिपिकीय भूल से हुई है। प्रार्थी व्यवसायिक पैशा व्यक्ति है जो अपने व्यवसाय के सिलसिले में प्रायः राजस्थान राज्य से बाहर दूसरे राज्य रहता है। प्रार्थी अभी श्रीडूंगरगढ़ आया और अपने खरीद शुदा खेत की राजस्व रिकार्ड की नकले ऑन लाईन के माध्यम से निकलवाई तो प्रार्थी को ज्ञान हुआ कि खेत खसरा नम्बर 160 में प्रार्थी की जाति जाट बिलकुल ही गलत रूप से दर्ज कर रखी है जबकि प्रार्थी की जाति तो सोनी सुनार है और विक्रय पत्र दिनांक 19.12.2012 तथा इन्तकाल संख्या 149 दिनांक 21.01.2013 तथा इन्तकाल संख्या 187 दिनांक 14.05.2014 भी सही रूप से दर्ज हुए है। खेत खसरा नम्बर 160 वाकेरोही गजपुरा में प्रार्थी का अपने 11/50 हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है इसलिए प्रार्थी उपरोक्त खसरा की भूमि में अपनी सही जाति सोनी "सुनार" अंकित करवाने का कानूनन अधिकारी है। उपरोक्त खसरा भूमि में प्रार्थी की जाति जाट अंकित होने के कारण प्रार्थी को उपरोक्त खसरा भूमि पर के. सी. सी. बनाने व अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है व प्रार्थी को अपनी उक्त खातेदारी भूमि को विक्रय, हस्तान्तरण करने में भी भारी परेशानियां हो रही है। प्रार्थी को उक्त लिपिकीय भूल बाबत पूर्व में कोई जानकारी नहीं रही है, क्योंकि प्रार्थी प्रायः अपने व्यवसाय के सिलसिले में बाहर रहता है। प्रार्थी ने अभी राजस्व रिकार्ड दस्तावेजों की नकले प्राप्त की तो प्रार्थी को पता चला कि प्रार्थी की जाति सोनी ष्सुनारष के स्थान पर बिलकुल ही गलत रूप से प्रार्थी की जाति जाट अंकित हो रखी है जिसकी दुरूस्ती करवाई जानी आवश्यक हो गई है जिसके लिए यह दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वादगत खेत खसरा नम्बर 160 रोही ग्राम गजपुरा में प्रार्थी की जाति राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से जाट अंकित कर दी गई है, इस बाबत प्रार्थी ने दिनांक 29.07.2024 को अप्रार्थी से निवेदन किया कि मेरी जाति सोनी ष्सुनारष है जबकि वादगत खसरा भूमि के राजस्व रिकार्ड में मेरी जाति जाट अंकित कर दी गई है जबकि मेरी जाति कभी भी जाट नहीं रही है । मेरे द्वारा खरीद किए गये खेत के विक्रय पत्र में भी मेरी जाति सोनी ष्सुनारष अंकित है तथा विक्रय पत्र से दर्ज इन्तकाल संख्या 149 भी सही दर्ज हुआ है परन्तु जमाबन्दियों को ऑन लाईन करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा मेरी जाति गलत रूप से जाट अंकित कर दी गई है जिसको दुरूस्त कर देवें तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ, बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपकी जाति का रिकार्ड में शुद्धिकरण करना संभव नहीं है, इस प्रकार अप्रार्थी ने प्रार्थिनी की जाति का शुद्धिकरण करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। राजस्व रिकार्ड में उक्त संशोधन होने से अप्रार्थी के हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा जबकि इसके विपरीत प्रार्थिनी की सही जाति दर्ज नहीं होने से प्रार्थिनी को अपूरणीय क्षति होगी। वर्णित खसरा भूमि ग्राम गजपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है इसलिए न्यायालय श्रीमान् को उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का पूर्ण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि खेत खसरा नम्बर 160 तादादी 14.5800 हैक्टेयर वाकेरोही गजपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की जाति जाट अंकित हो रखी है उसकी जगह सोनी "सुनार" अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का आदेश अप्रार्थी को दिया जावे और उसकी पालना अप्रार्थी से करवाई जावे, श्रीमान्जी की अति कृपा होगी ।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बहस

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

## आदेश

खेत खसरा नम्बर 160 तादादी 14.5800 हैक्टेयर वाकेरोही गजपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी की जाति **जाट** के स्थान पर **सोनी "सुनार"** दर्ज करके राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 24.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

**आदेश सरे इजलास सुनाया गया।**

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) सत्यमेव जयते